

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

➤ राजसमन्द में आरोपी कमलेश चन्द्र खटीक हाल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त भाणा, तहसील कुंवारीया जिला राजसमन्द राशि 7,00,000 /— रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 14 नवम्बर, शुक्रवार। को ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी राजसमन्द द्वारा आज कार्यवाही करते हुये कमलेश चन्द्र खटीक हाल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त भाणा, तहसील कुंवारीया जिला राजसमन्द को भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा चलाये जा रहे पैमाईश कार्य में परिवादी की आराजीयात का मौके के हिसाब से पैमाईश की कार्यवाही करने एवं नक्शा शुद्धिकरण करने की एवज में रिश्वत राशि 7,00,000 /— रुपये लेते हुए आरोपी श्री कमलेश चन्द्र खटीक हाल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त भाणा, तहसील कुंवारीया जिला राजसमन्द को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी राजसमन्द को एक शिकायत इस आशय की मिली कि श्री कमलेश चन्द्र खटीक हाल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त भाणा, तहसील कुंवारीया जिला राजसमन्द द्वारा भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा राजसमन्द जिले में चलाये जा रहे पैमाईश कार्य में परिवादी की आराजीयात का मौके के हिसाब से पैमाईश की कार्यवाही करने एवं नक्शा शुद्धिकरण करने की एवज में रिश्वत राशि 10,00,000 /— रुपये की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस —प्रथम डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी राजसमन्द के श्री हिम्मत चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो राजसमन्द के नेतृत्व में आज मय टीम के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी कमलेश चन्द्र खटीक हाल भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त भाणा, तहसील कुंवारीया, जिला राजसमन्द को रिश्वत राशि 7,00,000 /— रुपये भारतीय चलन मुद्रा के 500—500 रुपये के 140 नोट राशि 70,000 /— रुपये एवं 500—500 के 1260 डमी नोट राशि 6,30,000 रुपये कुल रिश्वत राशि 7,00,000 /— रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।